

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/46/2017

प्रवेश तिथि  
25-04-2017

निर्णय दिनांक  
07-02-2018

- 01- धनीराम पुत्र पूरणमल जाटव  
02- नन्द लाल पुत्र पूरणमल जाटव  
03- रामलाल पुत्र पूरणमल जाटव  
04- राधेश्याम पुत्र पूरणमल जाटव निवासी मेवखेड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर

अपीलाण्ट

बनाम

01- श्री तहसीलदार, रामगढ़ जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़  
दिनांक 27.02.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू  
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 266/2017

उपस्थित:-

01- श्री फकरुद्दीन -वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 27.02.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मेवखेड़ा की भूमि आराजी खसरा नम्बर 817 रकबा 5.79 है०, मे से 1.00 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधिनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम ओडेला की भूमि आराजी खसरा नम्बर 817 रकबा 5.79 है०, मे से 1.00 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 18.02.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 27.02.2017 के विरुद्ध दिनांक 25.04.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25.04.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हलका पिपरोली दिनांक 21.07.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07-02-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)  
अलवर (राजो)